**भारत सरकार**

**वित्त मंत्रालय**

**राजस्व विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2096**

**(जिसका उत्तर मंगलवार, 01 जनवरी, 2019/11 पौष, 1940 (शक) को दिया जाना है)**

**मीडिया घरानों पर आयकर विभाग के छापे**

**2096. श्री रीताब्रता बनर्जीः**

**क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) चालू वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा मीडिया घरानों पर मारे गए छापों की सूची क्या है और तदनुसार क्या कारण हैं तथा छापों की प्रकृति क्या थी;

(ख) सरकार को इस संबंध में ऐसी क्या जानकारी मिली थी जिसकी वजह से ये छापे मारे गए थे; और

(ग) क्या सरकार द्वारा कोई विशेष निष्कर्ष निकाला गया था जो कि गैर कानूनी अथवा आयकर अपवंचन के समान था?

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)**

(क): आयकर विभाग, कर अपवंचन की विश्वसनीय सूचना के आधार पर तलाश किए जा रहे ‘व्यक्तियों’ के संबंध में तलाशी ऑपरेशन आयोजित करता है। वे व्यक्ति, जिनकी तलाशी ली गई, मीडिया घरानों सहित विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों, विभिन्न सेक्टरों में, कार्यरत हो सकते हैं। हालांकि, क्षेत्रवार ब्यौरे अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(ख) एवं (ग): गंभीर पूछताछ समेत विभिन्न स्रोतों के माध्यम से व्यक्त की गई विभिन्न खुफिया जानकारी/सूचना के विभिन्न कागजातों के आधार पर खोज और जब्ती के मामले बनाए जाते हैं और तलाशी के लिए अनुमोदन का वारंट आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित प्राधिकरण की संतुष्टि के बाद ही जारी किया जाता है। विशिष्ट निर्धारितियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 के अंतर्गत किए गए प्रावधान को छोड़कर, सूचना का प्रकटीकरण निषेध है।

\*\*\*\*\*

**भारत सरकार**

**वित्त मंत्रालय**

**राजस्व विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2148**

**(जिसका उत्तर मंगलवार, 01 जनवरी, 2019/11 पौष, 1940 (शक) को दिया जाना है)**

**बरामद किए गए काले धन का विकास योजनाओं में उपयोग**

**2148. श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः**

**क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) नोटबंदी के बाद से अभी तक सरकार ने कितना काला धन बरामद किया है, तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं;

(ख) नोटबंदी से सरकार को बरामद काले धन को सरकार ने किस विकास योजना में लगाया; और

(ग) नोटबंदी से देश को मिले आर्थिक लाभ का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)**

(क) से (ग): काले धन के विरुद्ध लड़ाई एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और आयकर विभाग, काले धन के संव्यवहार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करता है। विमुद्रीकरण के दौरान, बैंक खातों में भारी मात्रा में नकदी जमा की गई, और इस कारण नकदी के स्वामी का पता लगाना संभव हो सका। आयकर विभाग ने विमुद्रीकरण की योजना के दुरुपयोग में शामिल पाए जाने वालों पर शीघ्र कार्रवाई में शामिल पाए जाने वालों पर शीघ्र कार्रवाई की। नकदी जमा के ब्यौरों का विश्लेषण किया गया ताकि उन लोगों का पता लगाया जा सके जिनका नकद संव्यवहार उनके प्रोफाइल के अनुरूप नहीं पाया गया है। आनलाइन प्रत्युत्तर देने हेतु करदाताओं को नियमित रूप से ई-मेल व एसएमएस भेजे गए थे। इसके अतिरिक्त, ऐसे व्यक्तियों को अधिनियम, 1961 के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए जिन्होंने अपने बैंक खातों में विमुद्रीकरण के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी जमा की थी। लेकिन अपनी आय के अनुरूप विवरणी दायर नहीं की है। इन अभ्यासों ने अनुपालन को बढ़ावा दिया है। जिसके परिणामस्वरूप आयकर विवरणी दायर करने वालो की संख्या और कर संग्रहण में भी वृद्धि हुई है।

यह निम्नलिखित में विधिवत् दर्शाया गया हैः-

(i) वित्त वर्ष 2017-18 में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रहण में 18% की मजबूत वृद्धि दर, जोकि अंतिम सात वित्तीय वर्षों में उच्चतम रही है जोकि देश में कर अनुपालन के स्तर पर, विमुद्रीकरण के सकारात्मक प्रभावों को इंगित करती है।

(ii) 2017-18 में, व्यैक्तिक आय कर (पीआईटी) अग्रिम कर संग्रहण 23.4% तक तथा 2016-17 से 29.2% तक स्व आकलन कर का बढ़ना, इस आधार की पुष्टि करता है कि आयकर विभाग द्वारा बैंक जमा आंकड़ों के आगामी प्रयोग तथा नोटबंदी ने, गैर वाणिज्यिक/व्यैक्तिक करदाताओं द्वारा स्वैछिक कर भुगतान पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।

(iii) वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, आयकर विभाग में दायर की गई आयकर विवरणियों (आईटीआर) की संख्या में 25% की वृद्धि प्राप्त की गई है। वित्त वर्ष 2016-17 में 5.48 करोड़ दायर आयकर विवरणियों की तुलना में, वित्त वर्ष 2017-18 में 6.86 करोड़ आयकर विवरणियां दायर की गईं थीं। यह अंतिम पांच वर्षों में प्राप्त की गई सबसे उच्चतर दर रही है।

(iv) वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान,नये आयकर विवरणी दायर करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी बढ़कर 1.07 करोड़ हो गई है,जबकिवित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 85.5 लाख नए आईटीआर दायर किए गए थे। यह नए कर फाइलरों में 25% की वृद्धि के साथ एक स्पष्ट बदलाव का संकेत देता है। पहले के वर्षों में, नए फाइलर्स 50 लाख से 66 लाख के बीच थे। यह वृद्धि नोटबंदी के परिणामस्वरूप, औपचारिक चैनलों में नकदी के हस्तांतरण के चलते अनुपालन के उच्च स्तर की विशेषता कही जा सकती है।

इसके अतिरिक्त, विमुद्रीकरण के बाद, नवम्बर, 2016 से मार्च 2017 तक की अवधि के दौरान, आयकर विभाग ने लगभग 900 समूहों पर तलाशी एवं जब्ती की, अभियान चलाए जिनमें 900 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों को जब्त किया गया और 7900 करोड़ रूपए से अधिक की अघोषित आय को स्वीकार किया गया था। इसके पश्चात, वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, आयकर विभाग द्वारा 582 समूहों की तलाशी ली गई, जहां 990 करोड़ रूपए से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों की जब्ती की गई और 15900 करोड़ रूपए से अधिक अघोषित आय को स्वीकार किया गया था।

वित्त वर्ष 2018-19 को दौरान (नवम्बर 2018 तक)\*, 500 समूहों की तलाशी ली गई, जहां 900 करोड़ रूपए की जब्ती की गई और 11000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि को अघोषित आय के रूप में स्वीकार किया गया।

\*आँकड़े अनंतिम है।

(ख): आयकर विभाग द्वारा संग्रहीत कर विभिन्न पावती शीर्षों के तहत जमा किया जाता है और संघ सरकार के समेकित राजस्व का हिस्सा बन जाता है। इनका बाद में सरकार की अनुमोदित योजना और नीतियों के अनुसार उपयोग किया जाता है।

\*\*\*\*\*